दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रक ने स्कुटी को मारी ठोंकर, दुर्घटना में युवक का निधन

रायगढ़ । ग्राम लाफागढ थाना रतनपुर (बिलासपुर) में रहने वाला शुभम पैकरा, साई राम कम्?पनी पूंजीपथरा (रायगढ़) में काम करता था । आज दिनांक 15.05.19 को शुभम पैकरा अपने गांव से अपनी पत्नीं श्रीमती मंजू पैकरा और लड़का शुभ (08 वर्ष) के साथ स्कुटी से पूंजीपथरा आने के लिए निकला था कि सुबह करीब 10.30 बजे छाल अस्पताल के आगे मेन रोड पर सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक छ्त्र 07 - 4791 का चालक तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए शुभम पैकरा के स्कूटी को ठोंकर मारकर एक्सीडेट कर दिया जिससे स्कुटी तीनों गिर गये । दुर्घटना से शुभम पैकरा के सिर में गंभीर चोटे आई और उसकी मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट से शुभम की पत्नी और लडके शुभ को चोटें नही आई है । घटना के संबंध में थाना छाल में ट्रक चालक के विरूद्ध अप.क्र. 80/19 धारा 304(ए) भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

ग्राम पंचायत भवन से लैपटॉप चोरी

रायगढ़। ग्राम पंचायत सराईपाली में सचिव के पद पर पदस्थ बोधन पटेल पिता ईश्वर प्रसाद पटेल दिनांक 14.05.2019 को लगभग 8.30 बजे रात्रि अपने लैपटॉप पर काम कर लैपटॉप को बंद कर ग्राम पंचायत भवन के टेबल में रखकर घर चला गया था जिसे दिनांक 14-15.05.19 के रात्रि कोई अज्ञात चोर पंचायत भवन का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया । चोरी की रिपोर्ट बोधन पटेल द्वारा आज दिनांक 15.05.19 को थाना बरमकेला में दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 79/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

महापल्ली के जुआ फड पर चक्रधरनगर पुलिस की रेड कार्यवाही, 10 जुआरियों से 56 हजार रूपये जप्त

रायगढ़। बुधवार दोपहर करीब 14ऱ00 बजे मुखबिर सूचना पर थाना चक्रधरनगर स्टाफ द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्राम महापल्ली में ञ्रङ्कस् शोरूम के पास जुआ फड पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जहां 52 पत्ते तास से जुआ खेलते (1) विजय यादव पिता अर्जुन यादव उम्र 32 वर्ष साकिन महापल्ली थाना चक्रधरनगर (2) राजकुमार साहू पिता जयप्रकाश साहू उम्र 42 वर्ष साकिन महापल्ली थाना चक्रधरनगर (3) वाचस विश्वाल पिता संजय विश्वाल उम्र 29 वर्ष साकिन लोईंग थाना चक्रधरनगर (4) अनिल शाह पिता किशोरी लाल शाह उम्र 42 वर्ष साकिन सकरबोगा थाना चक्रधरनगर (5) संजय प्रधान पिता राजाराम प्रधान उम्र 31 वर्ष साकिन साल्हेओना थाना चक्रधरनगर (6) भुरूशंकर भोय पिता नीलांबर भोय उम्र 43 वर्ष साकिन महापल्ली थाना चक्रधरनगर (7) अशोक विश्वाल पिता भिखारी विश्वाल उम्र 39 वर्ष साकिन जामगांव थाना चक्रधरनगर (8) प्रदीप विश्वाल पिता गोविंद प्रसाद उम्र 40 वर्ष साकिन कोसमपाली थाना चक्रधरनगर (9)अहमद बेग पिता हुसनू बेग उम्र 50 वर्ष साकिन चांदमारी रायग थाना कोतवाली रायगढ (10) सतीश गुप्ता उर्फ बबलू पिता रमेश गुप्ता उम्र 32 वर्ष साकिन महापल्ली थाना चक्रधरनगर को चक्रधरनगर पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा । आरोपियों के फ? से रकम 45000रू. एवं पास से रकम 11000 रू. जुमला रकम 56000 रूपये एवं फ? से 52 पत्ती तास तथा एक नग प्लास्टिक की चटाई जप्त किया गया है । आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 147/19 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है ।

फरार खनन माफिया अमृत पटेल पुलिस गिरफ्त में

रायगढ़। सारंगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्यवाही करने गये सहायक कलेक्ट़र मयंक चतुर्वेदी व उनके टीम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अमृत पटेल को उसके साथी के साथ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा गठित की गई टीम द्वारा आज दिनांक 16.05.19 को रेंगालपाली ओडिसा बार्डर से गिरफ्तार किये है ।

विदित है कि आरोपी के विरूद्ध सहायक कलेक्टर चतुर्वेदी पर जानलेवा हमला करने सहित अन्य कई मामले थाना सारंगढ़ में पूर्व से पंजीबद्ध है । जिनमें वर्ष 2002 में 179/02 धारा 147,148,149 ता.हि., 182/02 धारा 509,294 ता.हि. वर्ष 2013 में 42/13 धारा 186,188 ता.हि. वर्ष 2014 में 159/14 धारा 294,506,323,341,427 ता.हि. वर्ष 2018 में 477/18 धारा 379 ता.हि. 4(21) खनिज अधिनियम के मामले में आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है। ये तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ।

इस वर्ष 2019 आरोपी के विरुद्ध दिनांक 11-12.04.19 के दरमियानी रात सहायक कलेक्टर व उनकी टीम पर हमला करने के मामले में 195/19 धारा 186, 332, 353,307,294,506,34 ता.हि. विद्युत चोरी का अपराध 198/19 धारा 135 विद्युत अधिनियत तथा अवैध विस्फोटक पदार्थ उपयोग करने के संबंध में 206/19 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जानी थी । दिनांक 12.04.2019 की घटना के बाद से घटना का मुख्य आरोपी अमृत पटेल व उसका साथी फरार थे, जिसकी पतासाजी/गिरफ्तारी कराने में पुलिस को सहयोग देने वाले के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा 5000 रूपये का ईनाम उद्घोषणा जारी किया गया साथ ही आरोपियों की पतासाजी/गिरफ्तारी व अपराध के सतत पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ श्री जितेन्द्र खुंटे के नेतृत्व में दो निरीक्षक सहित 08 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया गया । आरोपी के फरार होने के बाद से पुलिस की टीम प्राप्त सूचना पर जिले में तथा ओडिसा के भुवनेश्वर , पुरी महाराष्ट के मुंबई सहित कई स्थानों में दबिश दी थी किन्तु आरोपी को पुलिस की पतासाजी की भनक लगते ही अपना लोकेशन बदल देता था जिससे पुलिस टीम को सफलता हासिल करने में समय लगा । अप.क्र. 195/19 धारा 186, 332, 353,307, 294, 506, 34 ढ्ढक्कष्ट की विवेचना दरम्यान धारा 341 ढ्ढक्कष्ट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(ड्ड) जोड़ी जाकर विवेचना की जा रही थी कि पुनः पुलिस को आरोपी के ओडिसा भुवनेश्वर में छिपकर रहने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस की अलग-अलग 04 टीमों ने भुवनेश्वर के कई स्थानों में दबिश दिया और आरोपी का पीछा करते हुए रेंगालपाली ओडिसा बार्डर के पास आज दिनांक को दोपहर में आरोपी अमृत पटेल और उसके साथी कन्हैया पटेल को पुलिस टीम ने धर दबोचा ।

मिलावटी सामानों की बिक्री करने वालों पर नकल कसने विभाग ने कसी कमर

रायगढ़। शहर में बिकनेवाले खाद्य पदार्थ और मिलावटी सामान की जांच के लिए फुड एंड ड्रग सेफ्टी विभाग द्वारा मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब को बुलाया गया है, जो अगले दो दिन तक रायगढ़ के अलग अलग ब्लॉक में जाएगी और वहां मिलनेवाले खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच कर रिपोर्ट दी जाएगी.

शहर में बिकनेवाले खाद्य साम्रागियों के सैंपल लिए जाने के बाद उन्हे जांच के लिए रायपुर भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट आने में लंबा समय लग जाता है. इस समस्या को देखते हुए लगभग एक साल बाद रायगढ़ फुड एवं ड्रग सेफ्टी विभाग द्वारा रायपुर से मोबाईल फुड टेस्टिंग लैब को बुलाया है. विभाग की निगम क्षेत्र प्रभारी सरिता पटेल ने बताया कि यह मोबाईल लैब 16-17 मई के बीच जिले के अलग अलग जगहों पर जाएगी और खाने के सामान की जांच करेगी. रायगढ़ प्रभारी ने बताया कि लोग चाहें तो खुद खाने के सामानों की जांच कराने के लिए आ सकते हैं.

पांच जगहों से लिए गए सैंपल

मोबाईल लैब के रायगढ़ आने से पहले विभाग द्वारा जिले के पांच अलग अलग जगहों में जांच कर सैंपल इकट्ठा किया गया. जिनमें इंडस्ट्रीयल एरिया दुर्गा स्वीट्स से मेंगो और आरेंज फ्लेवर के आईस कैंडी, आरओबी के पास स्थित बजरंग जूस से मौसंबी जूस के संेपल, सरिया के शुभम आईस से आईस कैंडी सहित एक अन्य संस्थान और धर्मजयगढ़ में गौरव आईस कैंडी के सैंपल लिए गए।

क्यों और कब रायगढ़ स्टेशन नहीं पहुंचेगी पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस

रायगढ़। उत्तर रेलवे के दिल्ली-मथुरा-सहारनपुर रेल खंड में लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण 17 मई को पुरी से हरिद्वार के लिए छूटने वाली पुरी-हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस निजामुद्दीन से परिवर्तित मार्ग से हरिद्वार के लिए चलेगी। निजामुद्दीन से तिलकब्रिज-दिल्ली साहदरा-शामली-टपरी मार्ग होकर हरिद्वार पहुंचेगी। उत्तर मध्य रेलवे में आवश्यक रखरखाव के निर्माण अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इस कार्य के चलते इस ट्रेन के मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तयामत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विकलांगों के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियां की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं.
9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480